

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:— 26/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. गोपु आत्मज हजारी बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायणी पुत्री हजारी बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री हजारी बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जेठी पत्नि हजारी बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सोहन आत्मज खेमा बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धन्ना आत्मज खेमा बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मोहन आत्मज खेमा बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. कंकु पुत्री खेमा बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. देवीलाल आत्मज धन्ना बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा आत्मज दल्ला तेली निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. डालु आत्मज नन्दा ब्राह्मण निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाथुसिंह आत्मज बख्तावर सिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. दिनेश आत्मज धुला नट निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गणेश आत्मज उदा बलाई निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. धन्ना आत्मज मियाराम सुथार निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. भंवरसिंह आत्मज धुकलसिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. पुरणसिंह आत्मज धुकलसिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. जेदुसिंह आत्मज धुकलसिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. भंवरसिंह आत्मज उदयसिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. ढकलसिंह आत्मज उदयसिंह राजपुत निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. जेता आत्मज उदा भील निवासी टुंगच तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 13.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम टुंगच पटवार हल्का टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1336 रकबा 0.08 हैक्ट. आराजी संख्या 1337 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 37 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 884 रकबा 0.06 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 67 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 7 व 9 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त

को आराजी संख्या 1203 रकबा 0.40 हैक्ट. आराजी संख्या 1210 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 1211 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 138 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 5 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1729/1190 रकबा 0.50 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 206 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 तक खाता संख्या 37, 67, 138, 2016 मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों और सीमाओं के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने घास आदि काटने में, दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 12 प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पड़ौसी होन से उन्हें पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार उक्त आराजी पत्थरगढी कराने बाबत कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 02.11.2018 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 13.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 एवं 3 से 7 तथा 9 से 12 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्या 2 एवं 8 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम टुंगच पटवार हल्का टुंगच तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 1336 रकबा 0.08 हैक्ट. आराजी संख्या 1337 रकबा 0.08 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 37 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 884 रकबा 0.06 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 67 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 7 व 9 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1203 रकबा 0.40 हैक्ट. आराजी संख्या 1210 रकबा 0.20 हैक्ट. आराजी संख्या 1211 रकबा 0.16 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.76 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 138 पर स्थित हैं। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 5 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजी संख्या 1729/1190 रकबा 0.50 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 206 पर स्थित हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काशत की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 700/- अक्षरे सात सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा


राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा